न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-570/2020

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) मो0 शकलेन, पिता-स्व0 अब्दूल रहमान
सा0-गरैया, वार्ड नं0-13, थाना-कुआड़ी ओ0पी0
जिला-अररिया

(2) मो0 गलीब, पिता-मो0 बदरूल
सा0-गरैया, वार्ड नं0-13, थाना-कुआड़ी ओ0पी0,
जिला-अररिया

(3) मो0 सद्दाम, पिता-मो0 आरीफ,
सा0-बलचंदा, वार्ड नं0-07, थाना-कुर्साकांटा, जिला-अररिया

(4) सद्दाम, पिता-बदरूल
सा0-गरैया, पो0-पहुँसी,
थाना-कुर्साकांटा, जिला-अररिया
(टी0भी0एस0 फोनेक्स मोटर साईकिल पंजीयन सं0-BR38J4163
चेचिस सं0-MD625SF44F1G34104
ईंजन सं0-FF4GF1019195 के मालिक)

(5) तारा चन्द, पिता-स्व0 एस0एच0 शिव चरण
सा0-ममेपुर, मेरठ, राज्य-उत्तर प्रदेश
पिन कोड-999999
(हीरो होण्डा स्पलेंडर मोटर साईकिल पंजीयन सं0-UP15AJ2745
चेचिस सं0-MBLHA10EE8HM07610
ईंजन सं0-HA10EA8HM13654 के मालिक) ....विपक्षीगण

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
22.07.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 1000/मद्यनिषेध, दिनांक-17.10.2020) के आलोक में कुर्साकांटा थाना कांड संख्या-44/2020, दिनांक-05.03.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त टी0भी0एस0 फोनेक्स मोटर साईकिल पंजीयन सं0-BR38J4163, चेचिस सं0-MD625SF44F1G34104, ईजन सं0-FF4GF1019195 एवं हीरो होण्डा स्पलेंडर मोटर साईकिल पंजीयन सं0-स्पष्ट नहीं, ईंजन संख्या-HA10EA8HM14211, चेचिस सं0-MBLHA10EE8HM07610 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षी को कारण-पृच्छ दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया से जब्त मोटर साईकिल के मालिक का नाम एवं पता की मांग की गई, जो प्राप्त है। सूचना प्राप्ति के बावजूद विपक्षीगण की ओर से कोई पैरवी नहीं की गई। (2) "दैनिक भास्कर एवं दैनिक जागरण" समाचार पत्र में दिनांक 09.04.2021 एवं 10.04.2021 के माध्यम से सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी/वाहन मालिक की ओर से आज तक कोई समुचित पैरवी नहीं की गयी है। विपक्षी लगातार सभी निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि विपक्षी/वाहन मालिक को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरूप विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद मंडल को एकपक्षीय सुना गया। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-1000/मद्यनिषेध, दिनांक-17.10.2020) एवं संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का कहना है कि पुलिस अवर निरीक्षक, कुर्साकांटा थाना दिनांक 05.03.2020 को समय	

अधिहरण वाद संख्या–570/2020

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश ... गई का... में टि... (तारीख सहित
2.07.2021	17.00 बजे संध्या गस्ती व होली पर्व 2020 के अवसर पर अवैध शराब बरामदगी हेतु छापामारी में सहायक अवर निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, मद्य निषेध गृहरक्षक बल BHG 6435 जगत लाल सिंह, BHG 400221 परमानंद मंडल, BHG 400396 सदानंद यादव, चौकीदार 15/1 अशोक कुमार मांझी, चौकीदार 15/8 संजय पासवान के साथ थाना से सरकारी वाहन से प्रस्थान किये। गस्ती व छापामारी के दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि बलचंदा से कपड़फोरा जाने वाली पक्की सड़क से शराब की बड़ी खेप निकलने वाली है। गुप्त सूचना के जाँच, सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई हेतु ग्राम बलचंदा, वार्ड नं0-05 मेहिं स्वामी कुटी के निकट सघन वाहन जांच शुरू किया गया। वाहन जाँच के दौरान समय करीब 21.05 बजे बलचंदा के तरफ से दो मोटर साईकिल आयी। पुलिस बल को देखकर गाड़ी घुमाकर दोनों मोटर साईकिल भागने का प्रयास किया, जिसे गस्ती दल के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया गया। घेराबंदी के दौरान ही एक मोटर साईकिल चालक मोटर साईकिल गिराकर भागने में सफल रहा एवं दूसरा मोटर साइकिल को मेहिं स्वामी के कुटी के पूरब बाँस बिट्टा में मोटर साईकिल चालक मोटर साईकिल सहित पकड़ा गया। पकड़ाये गये व्यक्ति से नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम-1. मो0 शकलेन, पिता-स्व0 अब्दूल रहमान, सा0-गरैया, वार्ड नं0-13, थाना-कुआड़ी ओ0पी0, जिला-अररिया बताया तथा भागने वाले व्यक्ति के बारे में पूछने पर उसका नाम-2. मो0 गलीब, पिता-मो0 बदरूल, सा0-गरैया, वार्ड नं0-13, थाना-कुआड़ी ओ0पी0, जिला-अररिया बताया। वहाँ उपस्थित ग्रामीणों में से दो स्वतंत्र साक्षी-1. कृष्ण रंजन राय एवं 2. राकेश कुमार महतों के समक्ष पूरे छापामारी दल का जमा तलाशी देने के उपरांत पकड़ाये व्यक्ति द्वारा चला रहे टी0भी0एस0 फोनेक्स मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR38J-4163, के सीट पर बंधे जूट के बोरा का जमा तलाशी लेने पर जूट के बोरा से 300 मिली लीटर के बोतल में कुल-150 बोतल कुल मात्रा-45 लीटर नेपाली दिलवाले सौंफी शराब बरामद हुआ एवं मो0 गालीब द्वारा छोड़े गये मोटर साईकिल हीरो होण्डा स्पलेंडर पल्स पंजीयन संख्या-स्पष्ट नहीं, ईजन संख्या-HA10EA8HM14211, चेचिस सं0-MBLHA10EE8HM07610 के सीट पर बंधे जूट के बोरा का जमा तलाशी लेने पर उक्त बोरा से 300 मिली लीटर के बोतल में कुल-150 बोतल नेपाली दिलवाले सौंफी शराब कुल मात्रा 45 लीटर बरामद हुआ। बरामद शराब के बारे में मो0 शकलेन से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त शराब मो0 सद्दाम, पिता-मो0 आरीफ, सा0-बलचंदा, वार्ड नं0-07, थाना-कुर्साकांटा, जिला-अररिया के	

अधिहरण वाद संख्या-570/2020

की सं... ...र तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
2.07.2021		

मोटर साईकिल पंजीयन सं0-UP15AJ27-45, चेचिस सं0-MBLHA10EE8HM07610, ईंजन सं0-HA10EA8HM13654 को पुलिस अवर निरीक्षक, कुर्साकांटा थाना द्वारा विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। बिना किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र या पास के बिना किसी मादक द्रव्य का उत्पादन करना, स्वामित्व रखना, बिक्रय करना, वितरण करना, बोतल बंद करना, आयात करना, निर्यात करना, ढ़ोना आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप विपक्षीगण के विरूद्ध कुर्साकांटा थाना कांड संख्या-44/2020, दिनांक-05.03.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त दोनों मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त दोनों मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। जब्त दोनों मोटर साईकिल को राजसात किया जाय।

(5) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी द्वारा जब्त दोनों मोटर साईकिल का उपयोग कुल-90 लीटर नेपाली देशी शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त शराब का जाँच प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध है। जब्त टी0भी0एस0 फोनेक्स मोटर साईकिल पंजीयन सं0-BR38J4163, चेचिस सं0-MD625SF44F1G34104, ईंजन सं0-FF4GF1019195 एवं हीरो होण्डा स्पलेंडर मोटर साईकिल पंजीयन सं0-UP15AJ2745, चेचिस सं0-MBLHA10EE8HM07610, ईंजन सं0-HA10EA8HM13654 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार कुर्साकांटा थाना कांड संख्या-44/2020, दिनांक-05.03.2020 में **जब्त टी0भी0एस0 फोनेक्स मोटर साईकिल पंजीयन सं0-BR38J4163, चेचिस सं0-MD625SF44F1G34104, ईंजन सं0-FF4GF1019195 एवं हीरो होण्डा स्पलेंडर मोटर साईकिल पंजीयन सं0-UP15AJ2745, चेचिस सं0-MBLHA10EE8HM07610, ईंजन सं0-HA10EA8HM13654 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरुप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया

समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 2050/विधि, अररिया, दिनांक 11.9.2021

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता, अररिया